भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 360
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: बिहार में शीतागार और भांडागार

***360. श्री अभय कुमार सिन्हाः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का बिहार में शीतागारों और भांडागारों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान बिहार में कितने नए शीतागार और भांडागार स्थापित किए गए तथा औरंगाबाद जिले सहित जिलावार ऐसे कितने शीतागार और भांडागार स्थापित किए जाने का विचार है;
(ग) क्या सरकार का छोटे और मध्यम भूधारिता वाले किसानों को भंडारण सुविधाएं सुलभ कराने के लिए शीतागार नेटवर्क का विस्तार करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा बिहार में फलों, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों के भंडारण की सुविधाओं में सुधार के लिए कौन सी नई नीतियां लागू की जा रही हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

बिहार में शीतागार और भांडागार के संबंध में 25 मार्च, 2025 को लोकसभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 360 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ) : सरकार ऐसी विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है, जिनके तहत बिहार सहित देशभर में शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर बिहार सहित देश भर में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोल्ड स्टोरेज मांग/उद्यमी आधारित घटक है, जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% की दर से तथा पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं के समूहों, साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्मों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संघों, स्थानीय निकायों, कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) और मार्केटिंग बोर्डों तथा राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "कोल्ड स्टोरेज और बागवानी उत्पादों के लिए स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 20000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज और कंट्रोल्ड एटमोसफेयर (सीए) स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत के 35% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) भी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। इस योजना के तहत मंत्रालय भंडारण और परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की दर से और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी) क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 50% की दर से तथा मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रमशः 50% और 75% की दर से सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो विकिरण सुविधा (आइरेडिएशन फैसिलिटी) सहित एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान के अधीन है। इस योजना के अंतर्गत स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज शामिल नहीं है।

उपर्युक्त सभी योजनाएं वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से मांग/उद्यमी द्वारा संचालित हैं, जिनके लिए सरकारी सहायता ऋण से जुड़ी बैक एंडेड सब्सिडी/अनुदान सहायता के रूप में है और राज्यों/उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) शुरू किया है। एआईएफ के अंतर्गत 2.00 करोड़ रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त सावधि ऋण और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए गए सावधि ऋण पर 3% की ब्याज छूट का प्रावधान है।

निजी उद्यमियों, सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों द्वारा प्रोत्साहित वैज्ञानिक भंडारण (कोल्ड स्टोरेज सहित) सहित एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार अपने संबद्ध कार्यालय विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) के माध्यम से पूरे देश में (बिहार सहित) इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग स्कीम (आईएसएएम) की उप-योजना " एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई)" को कार्यान्वित कर रहा है।

एएमआई एक पूंजी निवेश, ओपन एंडेड, मांग आधारित और ऋण से जुड़ी योजना है, जिसमें लाभार्थी की पात्र श्रेणी के आधार पर 25% और 33.33% की दर से बैक एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए व्यक्तियों, छोटे और मध्यम जोत वाले किसानों, किसानों/उत्पादकों के समूह, कृषि-काटने वालों, पंजीकृत किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि को सहायता उपलब्ध है। इसके अलावा, एएमआई योजना के तहत एनसीसीडी द्वारा प्रचारित मानकों के अनुसार फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए स्टैंड-अलोन मानकीकृत कोल्ड स्टोरेज इकाइयों को बिहार राज्य सहित देश भर के सभी पात्र लाभार्थियों के लिए एमआईडीएच लागत मानदंडों के अनुसार 1000 मीट्रिक टन तक की अनुमति है।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए खरीद के बाद खाद्यान्न (मुख्य रूप से गेहूं और चावल) का भंडारण करता है।

एफसीआई में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्य रूप से चावल और गेहूं के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संचालन पर निर्भर करती है। एफसीआई लगातार भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है और भंडारण अंतराल के आकलन के आधार पर, भंडारण क्षमता की व्यवस्था गोदामों के निर्माण, गोदामों को किराये पर लेकर निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से की जाती है।:

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
2. केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस)
3. पीपीपी मोड के तहत साइलो का निर्माण
4. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूजी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूजी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना

5. निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदाम किराए पर लेना
6. संपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गोदामों के निर्माण के लिए निर्धारित समय-सीमा संविदा के अनुसार होती है।

राज्य बागवानी मिशन, बिहार सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में कुल 13 कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए हैं।

इसी प्रकार, विपणन प्रभाग और केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार में 127 गोदामों का निर्माण किया गया है।

जिलावार विवरण **अनुबंध-I** पर है।

अनुबंध - I

पिछले 5 वर्षों के दौरान बिहार में स्थापित वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज का जिलावार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	वेयरहाउस की संख्या	कोल्ड स्टोरेज की संख्या
1	अररिया	13	
2	अरवल	0	
3	औरंगाबाद	0	
4	बांका	0	
5	बेगूसराय	11	4
6	भागलपुर	4	
7	भोजपुर	0	
8	बक्सर	1	
9	दरभंगा	5	
10	पूर्वी चंपारण	0	1
11	गया	0	
12	गोपालगंज	1	
13	जमुई	1	
14	जहानाबाद	0	
15	कैमूर	0	
16	कटिहार	7	1
17	खगरिया	9	
18	किशनगंज	1	
19	लखीसराय	0	
20	मधेपुरा	1	1
21	मधुबनी	0	
22	मुंगेर	0	
23	मुजफ्फरपुर	6	
24	नालंदा	0	
25	नवादा	1	
26	पटना	0	1
27	पूर्णिया	55	1
28	रोहतास	1	
29	सहरसा	0	
30	समस्तीपुर	4	3
31	शिवहर	0	
32	सारन	1	
33	शेखपुरा	0	
34	सीतामढ़ी	1	
35	सिवान	1	
36	सुपौल	0	
37	वैशाली	2	
38	पश्चिमी चंपारण	1	1
	कुल	**127**	**13**

*****